

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कैलाशचन्द्र बनाम ईश्वर सिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 6.2/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/04/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरे के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती कैलाशचन्द्र

पिता श्री मांगीलाल जी माली

निवासी- माली भोहला नरपत की खेड़ी

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

लाखा का खेड़ा (पन्ह ओड़ुद) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर

71 72
0.59 0.66

कुल कीता 0.59 0.59 कुल रकबा 1.8400 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी के दर्ज रेकार्ड है।

लाखा का खेड़ा (पन्ह ओड़ुद तह. चित्तौड़गढ़)

अतः प्रार्थी की ग्राम स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 71, 72, 70, 720/69
0.59 0.66 0.59 0.59

कुल कीता 0.59 रकबा 1.8400 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500/- रुपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)